मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३३ सन् २०२१

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, २०२१

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है.

धारा ९क का अंत: स्थापन.

२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा ९ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

कतिपय अवधि की समाप्ति के पश्चात् पंचायतों के भावी परिसीमन अथवा विभाजन का निरस्तीकरण समझा जाना.

"९क. इस अधिनियम में अंतविष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां ग्राम पंचायत या उसके वार्डों अथवा जनपद पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन ऐसी पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किया जाता है किन्तु ऐसी पंचायत के निर्वाचन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से उक्त परिसीमन अथवा विभाजन के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर जारी नहीं की जाती है, वहां उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे :—

(एक) इस प्रकार प्रकाशित ग्राम पंचायतों या उसके वार्डों अथवा जनपद पंचायतों या उसके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला ग्राम पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन उस तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् निरस्त समझा जाएगा, जिस तारीख को उक्त परिसीमन अथवा विभाजन प्रकाशित हुआ था;

(दो) ग्राम पंचायतों या उनके वार्डों अथवा जनपद पंचायतों या उनके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायतों या उनके निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन उस परिसीमन अथवा विभाजन के आधार पर किया जायेगा, जो उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति के ठीक पहले विद्यमान थे;

(तीन) ग्राम पंचायतों या उनके वार्डों या जनपद पंचायतों या उनके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायतों या उनके निर्वाचन क्षेत्रों के प्रवर्ग उन्हीं प्रवर्गों के लिए आरक्षित बने रहेंगे जैसे कि वे उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति पर थे:

परन्तु उपरोक्त परिणाम, ऐसी ग्राम पंचायतों अथवा उनके वार्डों या जनपद पंचायतों अथवा उनके निर्वाचन क्षेत्रों या जिला पंचायतों अथवा उनके निर्वाचन क्षेत्रों, जो संबंधित पंचायतों के अंतिम निर्वाचन के पश्चात् किसी नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना के कारण परिसीमित या विभाजित किए गए थे, के संबंध में लागू नहीं होंगे.".

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक १४ सन् २०२१) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) में पंचायतों के सभी तीनों स्तरों के निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों के परिसीमन के संबंध में उपबंध किए गए हैं, किन्तु अधिनियम में इस बिन्दु पर स्पष्टता नहीं है कि पंचायतों के परिसीमन तथा पंचायतों के विभिन्न स्तरों के वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन तथा उनकी आरक्षण कार्यवाहियों को अधिसूचित किए जाने के पश्चात्, यदि कतिपय कालावधि में ऐसी पंचायतों के निर्वाचन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नहीं की जाती है तो क्या स्थिति होगी और कितने समय तक पंचायतों का परिसीमन तथा वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन वैध रहेगा. अतएव, इस बिन्दु पर विधिक स्पष्टता को अभिव्यक्त करने के लिए मूल अधिनियम में धारा ९ क अतः स्थापित किए जाने की आवश्यकता है.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, २०२१(क्रमांक १४ सन् २०२१) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

३. अतः, यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १७ दिसम्बर २०२१

महेन्द्र सिंह सिसौदिया
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) में पंचायतों के सभी तीनों स्तरों के निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डो के परिसीमन के संबंध में उपबंध किए गए हैं, किंतु अधिनियम में इस बिन्दु का स्पष्टता नहीं है कि पंचायतों के परिसीमन तथा पंचायतों के विभिन्न स्तरों के वार्डो/निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन तथा उनकी आरक्षण कार्यवाहियों को अधिसूचित किए जाने के पश्चात, यदि कतिपय कालावधि में ऐसी पंचायतों के निर्वाचन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नहीं की जाती है तो क्या स्थिति होगी और कितने समय तक पंचायतों का परिसीमन तथा वार्डो/निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन वैध रहेगा. अतएव, इस बिन्दु पर विधिक स्पष्टता को अभिव्यक्त करने के लिए मूल अधिनियम में धारा ९क अतः स्थापित किए जाने की आवश्यकता थी.

२. चूंकि विधान सभा का सत्र चालू नहीं था एवं विधान बनाया जाना आवश्यक हो गया था. अतः उक्त प्रयोजन को पूरा करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक १४ सन् २०२१) प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) से उद्धरण.

* * * * *

धारा ९ (१) प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मिलन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक के लिए बनी रहेगी और इससे अधिक नही, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन समय से पहले विघटित नही कर दी जाए;

(२) किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन-

(क) उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व,

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की कालावधि की समाप्ति के पूर्व,
पूरा कर लिया जाएगा:

परन्तु जहां ऐसी शेष कालावधि, जिसके लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती, छह मास से कम है, वहां ऐसी कालावधि के लिए उस पंचायत का गठन करने हेतु इस खण्ड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नही होगा;

(३) किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस कालावधि के केवल उतने शेष भाग के लिए बनी रहेगी, जिसके लिए विघटित पंचायत, यदि वह इस प्रकार विघटित नही की जाती तो वह उपधारा (१) के अधीन बनी रहती;

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.